

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट : wwwgmcbhopal

Phone Number – 0755 - 4050000

क्रमांक 4634-50/एम.सी/एन.एच.एम. (6)/2021

भोपाल, दिनांक : 30/03/2021

// आदेश //

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 के पत्र क्रमांक 5545/एन.एच.एम./एचआर/सेल-01/ 2021/ भोपाल, दिनांक 26-03-2021 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की टीप क्रमांक 374/कोविड-19/VII/2021, दिनांक 22-03-2021 के संदर्भ अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अधीन हमीदिया/क्षय चिकित्सालय में कोविड-19 के उपचार हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों का वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 25-03-2021 से 30-03-2021 की प्रक्रिया कर चयन निश्चित मानदेय पर रू 60000/- पर नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पदस्थापना का स्थल
1.	डॉ. मुस्कान सेठी	श्री. प्रेम सेठी	हमीदिया/क्षय चिकित्सालय
2.	डॉ. अजित कुमार पिल्लई	श्री. कुमार	हमीदिया/क्षय चिकित्सालय
3.	डॉ. विनित कुमार शाह	श्री. लक्ष्मी प्रसाद शाह	हमीदिया/क्षय चिकित्सालय
4.	डॉ. सविता चौधरी	श्री. राम वीर सिंह	हमीदिया/क्षय चिकित्सालय
5.	डॉ. सुनील धयाल	श्री. जगदीश प्रसाद धयाल	हमीदिया/क्षय चिकित्सालय
6.	डॉ. विवेक सस्तियाँ	श्री. आराम सिंह सस्तियाँ।	हमीदिया/क्षय चिकित्सालय

सेवा शर्तें

1. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
2. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में दिनांक 30-06-2021 तक के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर बने रहने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिय प्राप्त नहीं होगा।
3. इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
4. अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ, अनुबन्ध एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेंट उपलब्ध करा कर ही सेवा प्रदाता कार्य दायित्व संभालेगा।


5. अनुबंध (रु 500/- स्टाम्प) निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदता द्वारा वहन किया जायेगा।
6. किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानुनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिती अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यलय की एन.एन.एच. शाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबंध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।

11
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 8634-50 / एम.सी / एन.एच.एम. (6) / 2021 भोपाल, दिनांक : 30 / 03 / 2021
प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र. ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा भोपाल ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में ।
6. संभागयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक , हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
8. अपर संचालक आई.डी.एस.पी. संचलानलय स्वास्थ्य सेवाए ।
9. उप संचालक मानव संसाधन / लीगल एन.एच.एम. म.प्र. भोपाल ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल ।
11. अधीक्षक, आर.आर.आई.डी. (क्षय) चिकित्सालय भोपाल ।
12.संबधित कर्मचारी
13. आदेश नस्ती ।


30/03/21
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल